न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60/2019 – निगरानी

श्री शंकर पिता नानू बलाई निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा –निगराकार	बनाम	1. श्रीमती पप्पूडी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा 2. ग्राम पंचायत बरण जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बरण तहसील बनेडा। 3. उपपंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बनेडा। – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश गैर निगराकार सं. 02 पत्रावली सं. 11 व पट्टा संख्या 13 दिनांकित 05.03.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री श्याम लाल वैद अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 के सरपंच एवं सचिव ने पंचायतीराज अधिनियम की अवहेलना कर विधि विरूद्ध जो पट्टा जारी किया है वह पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त पट्टा आबादी भूमि का रियायती दर पर/ निःशुल्क आवंटन प्रारूप 23 ग नियम 158 के तहत जारी किया है और उक्त पट्टा दिनांक 05.03.2018 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किया है और उक्त पट्टे का पंजीयन गैर निगराकार संख्या 1 के नाम पर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय मे करा दिया है। प्रथम तो उक्त पट्टा रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन किया है और उक्त पट्टा जारी करने का विधिक अधिकारी गैर निगराकार संख्या 2 को न तो है न था क्योंकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच–79 से सटी हुई भूमि है और उक्त भूमि एक बडे खसरे के रूप में स्थित है। जिसके खसरा संख्या 1768/933 व 1766/933 व 1761/933 करीबन 04 बीघा भूमि स्थित है और उक्त भूमि में कई गरीब परिवार के पुश्तैनी मकान स्थित है जो पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार है और गैर निगराकार संख्या 2 के सरपंच सचिव द्वारा दिसम्बर 2017 से उन व्यक्तियों को जिनको पुश्तैनी आवास स्थित है उनको राजनीतिक दुर्भावना की वजह से जो लोग वहां रह रहे है उनको प्रशासनिक आढ में हटाना शुरू कर दिया और उनको हटाने के लिए विधि विरूद्ध विज्ञप्तिया राज्य संस्करण समाचार पत्रों में जारी की गई। उनका भुगतान राजकोष से किया गया। जिसकी कोई स्वीकृति नही ली गई और समाचार पत्रों की विज्ञप्तियां मे राजकोष का काफी भुगतान किया गया है। गैर निगराकार संख्या 2 अपने हितबद्ध व्यक्तियों के नाम पर उक्त भूमि पंचायती राज अधिनियम प्रावधानों के तहत पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर अन्तरण कराने पर आमदा थे जिसको पंचायती राज उच्च संस्था द्वारा पाबन्द कर दिया गया था। तब गैर निगराकार संख्या 2 ने रियायती दर/निःशुल्क आवंटन प्रकिया का सहारा लेते हुए राज्य सरकार की बेसकीमती भूमि को पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना कर भूमि विकय अधिनियम की भी अवलेहना कर उक्त तथाकथित पट्टा अपने हितबद्ध व्यक्ति अर्थात् गैर निगराकार संख्या 1 के नाम से जारी कर दिया जिसका कि कोई विधिक अधिकार पंचायती राज अधिनियम भूमि विकय विलेख अधिनियम के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रावधानों में गैर निगराकार संख्या 2 को नही था फिर भी उक्त तथाकथित शून्य एवं निष्प्रभावी जो पट्टा जारी किया वो काबिले निरस्तनीय है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि राजकोष की बेसकीमती भूमि है और उक्त भूमि को किस प्रकार विक्रय किया जाये उसके लिए गाईड लाईन की आवश्यकता है और गैर निगराकार संख्या 2 ने किसी भी प्रकार की गाईड लाईन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। जिस श्रेणी में उक्त पट्टा जारी किया गया है उस श्रेणी का भी गैर निगराकार संख्या 1 पात्र नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 ना तो भूमिहीन है उसका स्वयं का मकान है और उसके निकटतम व्यक्ति वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 1 के कार्यालय में जनप्रतिनिधि है, और पंचायती राज अधिनियमों के तहत उक्त पट्टे का लाभ गैर निगराकार संख्या 1 प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 के नाम से उक्त तथाकथित जो पट्टा गैर निगराकार संख्या 2 ने जारी किया है वह पट्टा शर्तानुसार किया है और उनमें एक से लगायत दस तक की शर्ते है उन शर्तो की एक भी शर्त की पालना न तो हुई है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है और ना उक्त पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार गैर निगराकार संख्या 2 के सरपंच/सचिव को था। जिस प्रकार दिनांक 05.03.18 को पट्टा जारी होना बताया है उसकी मिशल कब कायम की गई और मिशल कब फेसल की गई और मिशल में क्या कार्यवाही की गई जबकि उक्त भूमि के बारे में दिनांक 12.12.2017 से दिनांक 20.02.2018 तक विवादित विज्ञप्तिया जारी होती आ रही है। दिनांक 05.03.2018 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी और दिनांक 05.03.2018 को ही उक्त तथाकथित पट्टा जारी करना गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की मिलीभगत को दर्शाता है एक तरफ गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.03.18 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा आपत्ति उक्त पट्टे के बारे में मांगी गई थी, और दिनांक 05.03.18 को ही पट्टा जारी कर किया आपत्तियों का निस्तारण भी नही किया गया और उन आपत्तियों का निस्तारण किस दिनांक को हुआ और आपत्तियां जायज थी या नही थी आपत्तियों के निस्तारण से पूर्व पट्टा जारी करना उक्त पट्टा काबिले निरस्तनीय है। उक्त पट्टा जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया है वह व्यक्ति इस पट्टे का पात्र नही है क्योंकि इसके नाम पर पूर्व में आवासीय मकान है और रियायती दर पर भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। उक्त पट्टे में दशाई गई भूमि सरकार की बेसकीमती भूमि है और गैर निगराकार संख्या 1 उक्त भूमि को रियायती दर पर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई उस भूमि को विक्रय के लिए राज्य सरकार की गाईड लाईन की आवश्यकता थी और गैर निगराकार संख्या 2 के सरपंच/सचिव ने राज्य सरकार की ना तो अनुमति ली है ना ही उक्त भूमि के विक्रय के संबंध में पंचायती राज अधिनियम की पालना की है। उन व्यक्तियों को भी गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा इस प्रकार के पट्टे जारी किये गये जो धनाढ्य व्यक्ति है और जिनके पास 3–3 मकान है और व्यावसायिक वाहन चल रहे और कुछ व्यक्ति वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा विधि विरूद्ध लाभ पहुंचाने की गरज से इस प्रकार की श्रेणी के तथाकथित पट्टे जारी किये है और राजकोष को नुकसान पहुंचाया है। पंचायतीराज अधिनियम के तहत भूमि का विक्रय होना आवश्यक है और उसकी कोई पालना गैर निगराकार संख्या 1 व 2 ने नहीं की है। दिनांक 05.03.2018 को तो आपत्ति मांगी गई थी और उसी दिनांक को उक्त तथाकथित पट्टा राजी किया गया और गैर निगराकार संख्या 3 ने बिना मिशल का अवलोकन किये उक्त पट्टों का पंजीयन भी कर लिया। जो बेशकीमती भूमि है जिसका अवैध पंजीयन गैर निगराकार संख्या 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की प्रार्थना पर किया गया है वह पंजीयन भी काबिले निरस्तनीय है। गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे की प्रमाणित प्रति भी निगराकार को उपलब्ध नही कराई गई। उक्त पट्टे की प्रति गैर निगराकार संख्या 1 ने निगराकार को दी है और गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा पट्टे की प्रमाणित प्रति नही देने से यह निगरानी पट्टे की फोटो प्रति से प्रस्तुत की जा रही है। निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त तथाकथित पट्टा निरस्त किया जाकर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

में जो पंजीयन हुआ है उस पंजीयन को भी निरस्त किया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 09.07.2018 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 की ओर से जवाब प्राथमिक आपत्ति के साथ पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा से पत्रांक/2258 दिनांक 30.09.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। आदेश क्रमांक 750 दिनांक 08.11.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 20.11.2019 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया।

गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 30 दिनांक 29.08.2018 को पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मैनुअल पार्ट द्वितीय के नियम 30 के तहत जब तक पंचायत के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं करे तब तक निगरानी दर्ज करना त्रुटिपूर्ण हैं। निगराकार की निगरानी पंचायत बरण के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नही करने से निगरानी खारिज की जावे।

निगराकार द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के द्वारा दिनांक 29.08.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 30 के संबंध में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी के साथ में जिस पटटे के विरूद्व निगरानी पेश की हैं उस पटटे की प्रति प्रस्तुत की हैं। निगराकार ने उक्त पटटे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु गैर निगराकार संख्या 02 को दिनांक 26.02.2018 को आवेदन किया परन्तु गैर निगराकार सं. 02 द्वारा पटटे की प्रमाणित प्रति नही दी गयी। इसके पश्चात् विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा को भी रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने की मांग की गयी परन्तु सूचना उपलब्ध नही करायी गयी। निगराकार ने अपनी निगरानी में यह अंकित किया हैं कि वांछित सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से फोटोप्रति पेश की गयी है। निवेदन हैं कि गैर निगराकार के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2018 को खारिज किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2019 एवं निगराकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। जिस उपरांत पाया गया कि न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब को स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर एवं प्रकरण मे उपलब्ध सभी दस्तावेजात का परीक्षण किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 के सरपंच एवं सचिव ने पंचायतीराज अधिनियम की अवहेलना कर विधि विरूद्व जो पट्टा जारी किया है वह पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त पट्टा आबादी भूमि का रियायती दर पर/ निःशुल्क आवंटन प्रारूप 23 ग नियम 158 के तहत जारी किया है और उक्त पट्टा दिनांक 05.03.2018 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किया है और उक्त पट्टे का पंजीयन गैर निगराकार संख्या 1 के नाम पर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय मे करा दिया है। प्रथम तो उक्त पट्टा रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन किया है और उक्त पट्टा जारी करने का विधिक अधिकारी गैर निगराकार संख्या 2 को न तो है न था क्योंकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच–79 से सटी हुई भूमि है और उक्त भूमि एक बडे खसरे के रूप में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि राजकोष की बेसकीमती भूमि है और उक्त भूमि को किस प्रकार विक्रय किया जाये उसके लिए गाईड लाईन की आवश्यकता है और गैर निगराकार संख्या 2 ने किसी भी प्रकार की गाईड लाईन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। जिस श्रेणी में उक्त पट्टा जारी किया गया है उस श्रेणी का भी गैर निगराकार संख्या 1 पात्र नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 ना तो भूमिहीन है उसका स्वयं का मकान है और उसके

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निकटतम व्यक्ति वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 1 के कार्यालय में जनप्रतिनिधि है, और पंचायती राज अधिनियमों के तहत उक्त पट्टे का लाभ गैर निगराकार संख्या 1 प्राप्त करने का अधिकारों नहीं है। एक तरफ गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.03.18 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा आपत्ति उक्त पट्टे के बारे में मांगी गई थी। और दिनांक 05.0318 को ही पट्टा जारी कर किया आपत्तियों का निस्तारण भी नही किया गया और उन आपत्तियों का निस्तारण किस दिनांक को हुआ और आपत्तियां जायज थी या नही थी आपत्तियों के निस्तारण से पूर्व पट्टा जारी करना उक्त पट्टा काबिले निरस्तनीय है। उक्त पट्टा जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया है वह व्यक्ति इस पट्टे का पात्र नही है क्योंकि इसके नाम पर पूर्व में आवासीय मकान है और रियायती दर पर भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। उक्त पट्टों का पंजीयन भी कर लिया। जो बेशकीमती भूमि है जिसका अवैध पंजीयन गैर निगराकार संख्या 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की प्रार्थना पर किया गया है वह पंजीयन भी काबिले निरस्तनीय है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त तथाकथित पट्टा निरस्त किया जाकर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय में जो पंजीयन हुआ है उस पंजीयन को भी निरस्त किया जावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार पंचायत बरण के आदेश से किस प्रकार व क्यों व्यथित हुआ, उसका हक किस प्रकार प्रभावित हुआ, उसका निगरानी में कोई उल्लेख नही किया हैं। निगराकार ने अपनी निगरानी में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि कैसे वह Intrested है। विवादित भूमि के संबंध में सार्वजनिक आपत्तियां मांगी जाने पर कोई आपत्ति नही आने पर पंचायत द्वारा निर्णय कर कब्जेधारी को पटटा जारी किया गया। कब्जे के आधार पर ही पटटा प्रदान किया गया। पंचायत के सरपंच एवं सचिव का इस संपूर्ण कार्यवाही में कोई निजी हित अन्तवर्लित नही था। विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए संपूर्ण कार्यवाही की गयी। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 पार्ट 4 अनुसार पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि को बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने के निश्चय कर सकेगी। पटटा विलेख का पंजीयन हो जाने के कारण अब उसके निरस्तीकरण के संबंध में इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार होने से निगरानी खारिज योग्य हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 में अंकित हैं कि अपील कहां होगी व कब होगी ? पंचायत के आदेश की अपील 30 दिन में पंचायत समिति में होने का प्रावधान हैं। इसमें भी aggrived शब्द लिखा हैं। निगराकार निगरानी में aggrived कैसे हैं ? स्पष्ट नहीं किया गया हैं। गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर आर टी 2018–19 (सप.) पन्नालाल बनाम श्रीमती सुशीला देवी पेज नं. 125 राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) पं. 108 ऑफ 2006 निर्णय दिनांक 12.02.2008 के पैरा सं. 11, 13 में अंकित किया हैं कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 धारा 97 व 61 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 नियम 166 ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का आवंटन – आवंटन के आदेश को अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष निगरानी के जरिये 13–14 वर्ष बाद चुनौती दी – पंचायत समिति के समक्ष अपील का प्रावधान – कलक्टर/अति. कलक्टर के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं थी – गुणावगुण पर भी तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अन्य विधिक दृष्टान्त पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 अपील्स फ्रोम ऑर्डर ऑफ पंचायत पेज सं. 57, पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 166 पेज सं. 278, पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 पेज सं. 76, पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 पेज सं. 275 व 276, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 5 उपधारा 44 पेज सं. 32, 2018–2019 (सप.) आर आर टी पेज सं. 125, राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक निर्णय पन्ना लाल व अन्य बनाम श्रीमती सुशीला देवी वगैरह एवं 2015(1) आर एल डब्ल्यू पेज 626 सुप्रीम कोट बीरबल बनाम हरियाणा स्टेट पेश किये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया कि ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली संख्या 09 में श्रीमती पप्पूडी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाट निवासी रायसिंहपुरा ने स्वयं को रियायती दर पर नियम 158 के तहत भूखण्ड का पटटा जारी कराने का आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बरण को प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दिनांक 23.01.2018 को दर्ज कर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर नियम 146 तहत स्थल निरीक्षण कर नियम 147 के तहत सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि भूखण्ड का राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पटटा जारी करने का निर्णय लेते हुये नियम 148 के तहत एक माह की अवधि का आपत्ति पत्र जारी किया जाकर आपत्ति मांगी गयी। दिनांक 20.02.2018 को एक भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियम 149 के तहत आपत्तियों के निस्तारण बकाया नहीं होने पर राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत भूखण्ड विक्रय विलेख पूर्ण कर रियायती दर 60,000/–रू. पंचायत कोष में जमा करके दिनांक 05.03.2018 को श्रीमती पप्पूडी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाट निवासी रायसिंहपुरा के नाम पर पटटा संख्या 13 जारी किया जिसका प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 को अनुमोदन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा के पत्रांक/पंसब/पंचा /2017–18/600 दिनांक 21.03.2018 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।

न्यायालय के पत्रांक/2019/7003 दिनांक 27.09.2019 से विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा से ग्राम पंचायत बरण के ग्राम रायसिंहपुरा में आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों के पटटे जारी किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संदर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा ने पत्रांक/पंसब/ पंचा/2019–20/2258 दिनांक 30.09.2019 से रिपोर्ट प्रेषित की जो निम्नानुसार है–

क्र.सं.	विषय	जवाब
1	ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 को खुली निविदा सूचना जारी करने के पश्चात् 09.02.2018 से खुली निविदा सूचना को निरस्त क्यों की गयी?	ग्राम पंचायत बरण के कोरम प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 05.01.2018 से उक्त भूखण्डों की खुली निलामी का प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 05.02.2018 से 09.02.2018 के मध्य दिनांक 05.02.2018 को कोरम आयोजित हुयी, परन्तु उक्त बैठक में खुली निविदा सूचना को निरस्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव लेना नही पाया गया।
2	रियायती दर पर निःशुल्क पटटे दिये जाने बाबत प्राप्त आवेदन पत्रों पर आपत्ति आमन्त्रण सूचना ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 20.02.2018 को क्यों की गयी ?	रियायती दर/निःशुल्क पटटे दिये जाने बाबत् प्राप्त आवेदन पत्रों पर ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 के प्रस्ताव सं. 06 एवं दिनांक 20.02.2018 के प्रस्ताव सं. 02 से आपत्ति आमंत्रण सूचना का निर्णय लिया गया।
3	व्यक्तियों के पटटे जारी करने से पूर्व भूखण्डों पर अतिक्रमण था या पटटे जारी करने पश्चात आवासी मकानात का निर्माण किया गया ?	ग्राम पंचायत बरण द्वारा उक्त मिसलियात कार्यवाही करने से पूर्व इन्तजामी मिसल कायम करना नही पाया गया। जिससे यह पुष्टि किया जाना संभव नही हैं कि उक्त व्यक्तियों का पूर्व में अतिक्रमण था। ग्राम पंचायत बरण की रोकड पुस्तिका के आधार उक्त व्यक्तियों को अधिकांशतः

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

		भूखण्ड का पटटा जारी करने के पश्चात् भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी करना पाया गया।

158 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन –

1. पंचायत, गांब आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आंवटित कर सकेगी।

1.(क) पंचायत, सरहदी पंचायत समिति क्षैत्रों के भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में (300 वर्ग गज) तक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी।

2. ऐसे आवंटियों से निम्न प्रकार दर से वसूल की जावेगी –
   (क) 1000 से कम की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 2/–रू. प्रतिवर्ग मीटर
   (ख) 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5/–रू. प्रतिवर्ग मीटर
   (ग) 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 10/–रू. प्रतिवर्ग मीटर

   परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों को, व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। (परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पटटा प्रारूप 23ग में जारी किया जा सकेगा)

   2(क) पंचायत, घुमक्कड भेड पालकों को 300 वर्ग गज तक आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।

3. इस प्रकार आंवटित की गयी आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पटटों पर बडे अक्षरों में 'विक्रय के लिए नहीं' की मुहर लगायी जायेगी। यदि कोई भी आवंटिती ऐसे गृह स्थल/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रीत करे तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, स्वामित्व, उस पर के संनिर्माण या पडी सामग्री के साथ पंचायत में निहित हो जायेगा और अंतरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुए बेदखल कर दिया जायेगा।

   3(क) इस नियम के अधीन आवंटित तीस प्रतिशत भूमि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आवंटित की जावेगी।

4. तथापि पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि को बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने के निश्चय कर सकेगी।
5. ऐसे आवंटिती को भविष्य में किसी भी पश्चात्वर्ती आवंटन से विसर्जित किया जायेगा।
6. उप – नियम (3) और (4) तथा (5) में अन्तर्विष्ट उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायत क्षेत्र में निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले दुकान–स्थलों के लिए भी लागू होगें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

7. बाढग्रस्त व्यक्तियों को अन्य स्थान/स्थानों पर गृह –स्थलों के आवंटन के लिए संबंधित पंचायत ऐसे व्यक्तियों से आवेदन इस परिवचन के साथ आमंत्रित करेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर गृह स्थलों के आवंटन की स्थिति में, बाढ में बह गये गृह स्थल सामग्री सहित सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में, संबंधित पंचायत में निहित हो जायेगें।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 अनुसार "किसी पंचायत के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित (Aggrieved) कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से तीस दिन के भीतर भीतर अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति में कर सकेगा।"

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 अनुसार :– राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति (Intrested) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं।

अपील एक सीमित प्रावधान हैं, जबकि रिवीजन का क्षैत्र व्यापक होता हैं। चूंकि अपील Aggrieved Party तक सीमित हैं। राज्य हित एवं अनियमितता की जांच के मध्यनजर Intrested & Aggrieved जैसे कानूनी शब्दों की तकनीकी व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विनिश्चय किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। Intrested पक्षकार की भावना न्यायालय के स्वप्रेरणा के क्षैत्राधिकार में स्वतः शामिल हैं।

गैर निगराकार सं. 01 के द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आर आर टी 2018–19 (सप.) पन्नालाल बनाम श्रीमती सुशीला देवी पेज नं. 125 राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) पं. 108 ऑफ 2006 निर्णय दिनांक 12.02.2008 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये भूमि आवंटन के 13–14 वर्ष बाद चुनौती दिये जाने के संबंध में है, जबकि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में आबादी भूमि का पटटा दिनांक 05.03.2018 को जारी किया गया है, इस पटटे के संबंध में दिनांक 25.07.2018 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर एक वर्ष से कम अवधि में ही चुनौती दिये जाने से एवं प्रकरण में भिन्न परिस्थितियां विद्यमान होने से तथा राज्य हित के दृष्टिकोण को मध्येनजर रखते हुए उक्त विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

गैर निगराकार सं. 01 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 पार्ट 4 अनुसार पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि को बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने के निश्चय कर सकेगी। पटटे की आबादी भूमि एन एच 79 के समीप होने से बाजार कीमत का आंकलन गैर निगराकार सं. 02 व 03 द्वारा किस आधार पर पटटा जारी किया गया ? पटटा दिनांक 05.03.2018 में अंकित आबादी भूमि के बाजार कीमत के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य गेर निगराकार सं. 01 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि पटटे की भूमि की बाजार कीमत कितनी थी ? एवं न ही बाजार कीमत के दस्तावेज पत्रावली में तत्समय संलग्न किये जाकर इस तथ्य को पुष्ट किया गया हैं।

गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राजी नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर पटटा दिनांक 05.03.2018 को जारी किया गया। पटटा जारी करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बरण ने दिनांक 20.02.2018 को आपत्ति आमंत्रण सूचना पत्र दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। इस आपत्ति आंमत्रण सूचना में नियम 148 की पालना में आपत्ति पत्र जारी करने की अवधि दिनांक 05.03.2018 तक रहेगी, जबकि नियम 148 में नोटिस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करने का प्रावधान हैं। इस प्रकार कार्यालय ग्राम पंचायत बरण द्वारा आपत्ति आमंत्रण सूचना की अवधि 14 दिन ही रखी गयी जो नियम 148 की स्पष्ट उल्लघंना हैं।

गैर निगराकार सं. 02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत कार्यवाही करने से पूर्व एक आम सूचना सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 09.02.2018

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को इस आशय की प्रकाशित करायी की ग्राम पंचायत बरण में ग्राम रायसिंहपुरा एन एच 79 के पास खुली निलामी रखी गयी थी। पूर्व सूचना दिनांक 14.02.2018 को अटल सेवा केन्द्र पर रखी गयी थी। जो सूचना अपरिहार्य कारण से निरस्त की जाती हैं, जबकि निरस्ती का Speaking, ठोस एवं विधिक कारण अंकित नहीं किया गया। ग्राम रायसिंहपुरा की आबादी भूमि जो एन एच 79 के पास खुली निलामी से विक्रय करने हेतु नियम 141 के तहत सचिव/ सरपंच ग्राम पंचायत बरण द्वारा कार्यवाही नही करके नियम 158 के तहत कार्यवाही किये जाने से राजस्व हानि होने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा से ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 को खुली निविदा सूचना जारी करने के पश्चात् दिनांक 09.02.2018 से खुली निविदा सूचना को निरस्त करने के संबंध में जवाब तलब किया गया। जिसके संदर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा ने की रिपोर्ट दिनांक 30.09.2019 के साथ संलग्न ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंयायत बरण की रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम पंचायत बरण के कोरम प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 05.01.2018 से उक्त भूखण्डों की खुली निलामी का प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 से 09.02.2018 के मध्य दिनांक 05.02.2018 को कोरम आयोजित हुयी परन्तु उक्त बैठक में खुली निविदा सूचना को निरस्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव लेना नहीं पाया गया, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 09.02.2018 को सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत बरण ने दिनांक 14.02.2018 को अटल सेवा केन्द्र पर होने वाली बैठक को अपरिहार्य कारण से निरस्त करने का नोटिस प्रकाशित करवा दिया गया। इस प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा के पत्र दिनांक 30.09.2019 के साथ संलग्न ग्राम विकास अधिकारी बरण की रिपोर्ट एवं दैनिक समचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना दिनांक 09.02.2018 में विरोधाभासी तथ्य प्रकट किये जाने से एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 की पालना गैर निगराकार सं. 02 द्वारा नही किये जाने से राजस्व हानि से इंकार नही किया जा सकता है एवं ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली में गैर निगराकार सं. 02 द्वारा नियम 148 की उल्लघंना किये जाने से निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली संख्या 11 में जारी पटटा संख्या 13 दिनांक 05.03.2018 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 की गैर निगराकार सं. 02 द्वारा पालना नही किये जाने से एवं नियम 148 की गैर निगराकार सं. 02 द्वारा स्पष्ट उल्लघंना किये जाने से निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली संख्या 11 में जारी पटटा संख्या 13 दिनांक 05.03.2018 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बरण तहसील बनेडा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा